5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES COURT FEE (×3)

114

मानीय न्यायालय राजस्व मंडल ग्वालियर , (म०प्रदेश)

निगरानी प्र०क्र०- सन- 2009

मातादीन तनय बल्द पटेल
निवासी ग्राम डबरी (विरोना) तहसील राजनगर
जिला छतरपुर म०प्र० -------- आवेदक/निगरानीकर्ता.

बनाम -

1. नंगा तनय श्री भरोसा कुर्मी
निवासी ग्राम विरोना (डबरी)
तहसील राजनगर जिला छतरपुर म०प्र० 10116-II/10
2. श्यामले जू तनय रघुराज सिंह
3. मलखान सिंह तनय रघुराज सिंह
निवासीगण ग्राम नारायणपुरा तहसील
राजनगर जिला छतरपुर म०प्र०. ---------- अनावेदकगण/उत्तरवादीगण

मुकेश भार्गव एडवोकेट, 7.8-10 द्वारा प्रस्तुत
2.35.P.M

पुनरीक्षण विरुद्ध श्रीमान् अपर आयुक्त सागर के अपील प्रकरण क्रमांक-09/अ-6/08-09 में पारित आदेश दिनांक-27.10.08 से दुखी होकर ।

पुनरीक्षण आवेदन अंतर्गत धारा-50 म.प्र.भू रा. संहिता 1959.

मानीय महोदय,

आवेदक की ओर से सादर निम्न विनय प्रस्तुत है :-

मुकेश भार्गव एडवोकेट ग्वालियर

1. यह कि मौजा विरोना स्थित भूमि खसरा नंबर-778/1, 793, 794, रकवा एकत्र 1.038 हे0 भूमि जो आवेदक/निगरानीकर्ता ने रघुराज सिंह तनय श्री मानिक जू निवासी ग्राम विरोना तहसील राजनगर जिला छतरपुर म०प्र० से जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र द्वारा दिनांक- 10.4.2003 को क्रय की थी । तथा उक्त भूमि की रजिस्ट्री होने के दिनांक से ही निगरानीकर्ता को कब्जा प्राप्त हो गया था तभी से निगरानीकर्ता का कब्जा लगातार भूमि पर चला आ रहा है तथा आज भी उक्त भूमि में कब्जा है ।

2. यह कि निगरानीकर्ता ने उक्त रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के आधार प

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ
भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 1116–दो/2010 जिला छतरपुर

मातादीन विरूद्ध नंगा आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12–3–2019	आवेदक अधिवक्ता श्री मुकेश भार्गव एवं अनावेदक अभिभाषक श्री प्रदीप श्रीवास्तव उपस्थित। उभयपक्ष अभिभाषकों ने अपर आयुक्त की नस्ती के आधार पर प्रकरण के निराकरण का अनुरोध किया। 2/ प्रकरण का अवलोकन किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्रकरण कमांक 9/अ–6/2008–09 में पारित आदेश दिनांक 27–10–2008 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। अपर आयुक्त ने प्रश्नाधीन आदेश में यह निष्कर्ष निकाला है कि अनुविभागीय अधिकारी ने अपील प्रकरण में साक्ष्य पर स्वतंत्रापूर्वक पूर्ण रूपेण विचार नहीं किया है। अपीलीय न्यायालय को साक्ष्य का पूर्णरूपेण विचार करना चाहिए। इसी आधार पर अपर आयुक्त ने अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर अपील स्वीकार की है। अपर आयुक्त का आदेश अंशतः सही है लेकिन यदि अनुविभागीय अधिकारी ने साक्ष्य पर पूर्णरूपेण विचार नहीं किया था, तब ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त को प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित करना चाहिए था। ऐसा न करने में अपर आयुक्त द्वारा त्रुटि की है। दर्शित परिस्थितियों में अपर आयुक्त का आदेश भी स्थिर नहीं रखा जा सकता है। 3/ उपरोक्त विवेचना के आधार अपर आयुक्त सागर का आदेश दिनरांक 27–10–2008 निरस्त किया जाता है।	

12.03.19

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1116–दो/2010 जिला छतरपुर

मातादीन विरूद्ध नंगा आदि

निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी राजनगर को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तत किया जाता है कि वे प्रकरण में आये साक्ष्यों को पूर्णरूपेण विवेचना कर उभयपक्षों को सुनवाई कर विधिसम्मत आदेश पारित करें।

पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(आर0के0 जैन)
सदस्य
12.03.19